न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 05/2023

ऑनलाईन नंबर 2023/12

निर्णय दिनांक:24.02.2023

केशुराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी डेलवां तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।

यह है कि खेत खसरा नम्बर 697/218 तादादी 3.2400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 700/602 तादादी 8.5300 हैक्टेयर बारानी रोही डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत की खातेदारी प्रार्थी के नाम सयूक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने जब उपरोक्त खसरान की भुमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 04.01.2023 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 697/218 तादादी 3.2400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 700/602 तादादी 8.5300 हैक्टेयर बारानी रोही डेलवां के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से केशराराम पुत्र पनाराम अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही केशुराम पुत्र पनाराम रहा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम केशराराम अंकित कर दिया है। प्रार्थी साक्षर व कृषि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम केशुराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी डेलवां अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान–पहचान, मित्रगण सभी केशुराम के नाम से जाना–पहचाना जाता है। यह है कि वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का ही कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम केशुराम पुत्र पनाराम जाति जाट अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम केशराराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 03.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम केशुराम है मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वंश वशावली हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से केशराराम अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम केशुराम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादगत खसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 697/218 तादादी 3.2400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 700/602 तादादी 8.5300 हैक्टेयर बारानी रोही डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम केशराराम अंकित हुआ है उसकी जगह केशुराम पुत्र पनाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षपे में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 697/218 तादादी 3.2400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 700/602 तादादी 8.5300 हैक्टेयर बारानी रोही डेलवां तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम केशराराम अंकित हुआ है उसकी जगह केशुराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:22 IST
Reason: SelfAttested